

उत्तराखण्ड शासन
तकनीकी शिक्षा विभाग
संख्या 726 /XLI-A /2023-32 /2018
देहरादून: दिनांक 10 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05.01.2018 कार्मिक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या I/115324/2023 दिनांक 18.04.2023 एवं पत्र सं. I/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 के आलोक में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समूह 'क' के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्मिकों/अधिकारियों को तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित संस्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 के अनुसार नवीन संस्थान पर एतद्वारा स्थानान्तरित/तैनाती की जाती है:-

अध्यक्ष, इलैक्ट्रीकल इंजी०

क्र०सं 0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहां कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रंजना रावत	राज. पालीटेक्निक, रामनगर	राज. पालीटेक्निक, नैनीताल	सुगम से दुर्गम
2	श्री अभिषेख चौहान	राज. पालीटेक्निक, क्वांसी	राज. पालीटेक्निक, गढिश्चामपुर	अनुरोध के आधार पर

अध्यक्ष, सिविल

क्र०सं 0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहां कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री वीरेन्द्र पाल सिंह	राज. पालीटेक्निक, गजा	राज. पालीटेक्निक, नरेन्द्रनगर	अनुरोध के आधार पर

अध्यक्ष, इलैक्ट्रॉनिक्स

क्र०सं 0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहां कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सीमा रावत	राज. पालीटेक्निक, रानीपोखरी	राज. पालीटेक्निक, श्रीनगर	सुगम से दुर्गम
2	श्रीमती कादंबरी वर्मा	राज. पालीटेक्निक, कालाढूंगी	राज. पालीटेक्निक, द्वाराहाट	सुगम से दुर्गम
3	श्री राकेश प्रसाद पुरोहित	राज. पालीटेक्निक, श्रीनगर	राज. पालीटेक्निक, देहरादून	अनुरोध के आधार पर
4	श्री ओम प्रकाश आर्या	राज. पालीटेक्निक, द्वाराहाट	राज. पालीटेक्निक, कोटद्वार	दुर्गम से सुगम

अध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस इंजी०

क्र०सं०	कार्मिक का नाम सर्वश्री	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहां कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सुश्री ममता राणा	राज. पालीटेक्निक, टनकपुर	राज. पालीटेक्निक, बांस	सुगम से दुर्गम ✓
2	श्री भाष्कर भट्ट	राज. पालीटेक्निक, श्रीनगर	राज. पालीटेक्निक, मल्लासालम	अनुरोध के आधार पर ✓
3	श्री मुकेश बाबू	राज. पालीटेक्निक, द्वाराहाट	राज. पालीटेक्निक, बाजपुर	दुर्गम से सुगम ✓

अध्यक्ष, बेसिक साइंस एण्ड इंजीनियरिंग

क्र०सं०	कार्मिक का नाम सर्वश्री	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहां कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश अमोली	राज. पालीटेक्निक, बीरोंखाल	राज. पालीटेक्निक, गढीश्यामपु	अनुरोध के आधार पर ✓
2	श्री विनोद कुमार	राज. ग्रामीण पालीटेक्निक, थलनदी	राज. पालीटेक्निक, कोटद्वार	दुर्गम से सुगम ✓

अध्यक्ष, फार्मसी

क्र०सं०	कार्मिक का नाम सर्वश्री	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहां कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती भारती विश्वकर्मा	राज. पालीटेक्निक, देहरादून	राज. पालीटेक्निक, श्रीनगर	सुगम से दुर्गम ✓

प्रधानाचार्य

क्र० सं०	कार्मिक का नाम सर्वश्री/श्रीमती	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहां कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सरिता कटियार	राज. पालीटेक्निक, भलस्वागाज, हरिद्वार	राज. पालीटेक्निक, श्रीनगर	सुगम से दुर्गम ✓
2	श्री बीरेन्द्र पाल सिंह	राज. पालीटेक्निक, कोटाबाग	राज. पालीटेक्निक, काशीपुर	अनुरोध के आधार पर ✓
3	श्री अवनीश जैन	राज. पालीटेक्निक, चिन्धालीसौड़	राज. पालीटेक्निक, देहरादून	अनुरोध के आधार पर ✓
4	श्री सुमित कुमार सिंह	राज. पालीटेक्निक, बाड़ेछीना	राज. पालीटेक्निक, कोटाबाग	अनुरोध के आधार पर ✓
5	श्री पंचम राम पटेल	राज. पालीटेक्निक, नैनीताल	राज. पालीटेक्निक, शक्तिफार्म	दुर्गम से सुगम ✓

6	श्री गजेन्द्र सिंह	राज. ग्रामीण पालीटेक्निक, थलनदी	राज. पालीटेक्निक, रामनगर	दुर्गम से सुगम
---	--------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------

2- उक्त कार्मिकों/अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती संस्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या 726/XLI-A/2023-32/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित संस्थान प्रधानाचार्य, द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर।
7. सम्बन्धित कार्मिक/प्रधानाचार्य, द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।


(रविनाथ रामन)
सचिव।

॥ प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल ॥

पृ०सं० २०१३-२१०३/नि०प्रा०शि०/स्था०/२०२३-२४

दिनांक १० जून २०२३

उत्तराखण्ड शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-७२७/खलि-अ/२०२३-३२/२०१८ दिनांक १० जून २०२३ की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. निजी सचिव, सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून को महोदय के अवगतनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
२. आयुक्त गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
३. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
४. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
५. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, २३ लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
६. समस्त मुख्य/व०कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
७. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की।
८. संयुक्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, देहरादून।
९. निदेशक/प्रधानाचार्य परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थान।
१०. सम्बन्धित कार्मिक।
११. गार्ड फाइल।



(आर०पी० गुप्ता)
निदेशक।

आदेशः

उत्तराखण्ड लोक सवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2023 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के समूह-“ख” के निम्नलिखित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04(वर्तमान तैनाती संस्था) से कॉलम-05(संस्था का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जा रहा है) में अंकित स्थानों पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहाँ वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री राज कुमार आर्य	प्रवक्ता CE/CSE/PGDCA	रा०पा० टनकपुर (चम्पावत)	रा०पा० बछेलीखाल (टिहरी गढ़वाल)	जनहित में
02	श्री प्रवीन शाह	प्रवक्ता CE/CSE/PGDCA	रा०पा० कालाढूँगी (नैनीताल)	रा०पा० बछेलीखाल (टिहरी गढ़वाल)	जनहित में
03	श्री लीलाधार बुडलाकोटी	प्रवक्ता अंग्रेजी	रा०पा० शक्तिफार्म (ऊधम सिंह नगर)	रा०पा० बछेलीखाल (टिहरी गढ़वाल)	जनहित में
04	सुश्री शालिनी	प्रवक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स	प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)	रा०पा० नैनीताल	जनहित में
05	श्री सचिन सक्सैना	प्रवक्ता मैकेनिकल	रा०पा० काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)	रा०पा० गोपेश्वर (चमोली)	जनहित में
06	श्रीमती नीतू प्रसाद आर्य	प्रवक्ता गणित	रा०पा० खटीमा (ऊधम सिंह नगर)	रा०पा० बाडेछीना (अल्मोड़ा)	जनहित में

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहाँ वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
----------	----------------	--------	---	--	---------



(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री आशीष आर्या	प्रवक्ता CE/CSE/PGDCA	रा0पा0 द्वाराहाट (अल्मोड़ा)	रा0पा0 बांस (पिथौरागढ़)	स्वयं के अनुरोध पर
02	श्रीमती मधु लक्ष्मी	प्रवक्ता CE/CSE/PGDCA	रा0म0पा0 अल्मोड़ा	रा0पा0 बांस (पिथौरागढ़)	स्वयं के अनुरोध पर
03	श्री शैलेन्द्र जोशी	प्रवक्ता अंग्रेजी	रा0पा0 बाडेछीना (अल्मोड़ा)	रा0पा0 पंतनगर (ऊधम सिंह नगर)	स्वयं के अनुरोध पर
04	श्री राम जन्म सिंह	कर्मशाला अधीक्षक	रा0पा0 सल्ट (अल्मोड़ा)	रा0पा0 बाजपुर (ऊधम सिंह नगर)	स्वयं के अनुरोध पर
05	श्री विपिन कुमार वर्मा	प्रवक्ता फार्मसी	रा0पा0 द्वाराहाट (अल्मोड़ा)	रा0पा0 नैनीताल	स्वयं के अनुरोध पर
06	श्री सुमन्त कुमार	प्रवक्ता भौतिकी	रा0पा0 पोखरी (चमोली)	रा0पा0 बछेलीखाल (टिहरी गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध पर
07	श्री प्रदीप कुमार	प्रवक्ता भौतिकी	रा0पा0 गैरसैण (चमोली)	रा0पा0 क्वॉसी (देहरादून)	स्वयं के अनुरोध पर
08	श्री अंकित तिवारी	प्रवक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स	रा0ग्रा0पा0 थलनदी (गढ़वाल)	रा0पा0 आमवाला (देहरादून)	स्वयं के अनुरोध पर
09	मोनिका नौटियाल	प्रवक्ता मैकेनिकल	रा0पा0 पोखरी (चमोली)	रा0पा0 रानीपोखरी (देहरादून)	स्वयं के अनुरोध पर
10	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	प्रवक्ता रसायन	रा0पा0 गणाई गंगोली (पिथौरागढ़)	रा0पा0 चोपता (रूद्रप्रयाग)	स्वयं के अनुरोध पर
11	श्रीमती किरन असवाल	प्रवक्ता गणित	रा0पा0 काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)	रा0पा0 सतपुली (गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध पर
12	श्रीमती राखी	प्रवक्ता सिविल	रा0पा गौचर (चमोली)	रा0पा0 नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध पर



दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री राजू सैनी	प्रवक्ता CE/CSE/PGDCA	रा०पा० जाखणीधार (टिहरी गढ़वाल)	रा०पा० कोटद्वार (गढ़वाल)	जनहित में
02	श्रीमती सुरेन्द्र कौर	प्रवक्ता अंग्रेजी	रा०पा० सहिया (देहरादून)	रा०पा० रानीपोखरी (देहरादून)	जनहित में
03	श्री अनिल कुमार आर्या	प्रवक्ता फार्मैसी	रा०पा० नैनीताल	रा०पा० देहरादून	जनहित में
04	श्रीमती कुसुम बर्तवाल	प्रवक्ता भौतिकी	रा०पा० जाखणीधार (टिहरी गढ़वाल)	रा०पा० विकासनगर (देहरादून)	जनहित में
05	श्री भुवन चन्द्र	प्रवक्ता भौतिकी	रा०पा बरम (पिथौरागढ़)	रा०पा० बाजपुर (ऊधम सिंह नगर)	जनहित में
06	श्री मयंक जोशी	प्रवक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स	रा०ग्रा०पा० ताकुला (अल्मोडा)	रा०पा विकासनगर (देहरादून)	जनहित में
07	श्री महेन्द्र लाल टम्टा	प्रवक्ता रसायन	रा०पा कुलसारी (चमोली)	रा०पा विकासनगर (देहरादून)	जनहित में
08	श्रीमती शीतल मंमगार्ई	प्रवक्ता गणित	रा०पा० काण्डीखाल (टिहरी गढ़वाल)	प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की में सहायक सचिव पद पर	जनहित में
09	श्री प्रभात सेमल्टी	प्रवक्ता गणित	रा०ग्रा०पा० थलनदी (गढ़वाल)	रा०पा० गढ़ीश्यामपुर (देहरादून)	जनहित में

उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि दस दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें और प्रधानाचार्य, स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा, और जो अधिकारी स्थानान्तरण



आदेशों को पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की प्रविष्टि स्थानान्तरण पोर्टल पर अंकित कर कार्मिकों का विवरण अपडेट करें।

2- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

4- स्थानान्तरिक कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

5- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जाय।

6- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमवाली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

7- जो कोई, स्थानान्तरण अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो स्थानान्तरण आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या अधिनियम के किन्हीं उपलब्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमवाली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

8- स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून का वेतन उनके नवीन तैनाती संस्था से आहरित किया जायेगा।

9- जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में किया गया है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा तथा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित



कार्मिकों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।

10- प्रधानाचार्यों द्वारा कार्मिकों के कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय के ई-मेल आई0डी0 ukdttransfer@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी।

(आर0पी0 गुप्ता)
निदेशक।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल)

पृ0सं0 2023-92/नि0प्रा0शि0/स्था0-08/2023-24

दिनांक: 16 जून, 2023।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1)-निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री महोदय के अवगतनार्थ।
- (2)-निजी सचिव, सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को महोदय के अवगतनार्थ।
- (3)-सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- (4)-सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)।
- (5)-संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0ई0, आमवाला देहरादून।
- (6)-सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राजकीय/महिला/ग्रामीण पालीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड।
- (7)-महालेखाकार, उत्तराखण्ड कोलागढ़, देहरादून।
- (8)-सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार, उत्तराखण्ड।
- (9)-सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रधानाचार्य।
- (10)-गार्ड फाइल।

(आर0पी0 गुप्ता)
निदेशक।

::आदेशः

उत्तराखण्ड लोक सवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2023 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के समूह-“ग” के निम्नलिखित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04(वर्तमान तैनाती संस्था) से कॉलम-05(संस्था का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जा रहा है) में अंकित स्थानों पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री अनिल कुमार पाण्डे	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रा०पा० विकासनगर (देहरादून)	रा०पा० नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)	जनहित में
02	श्री सुशील कुमार	कर्मशाला अनुदेशक	रा०पा० देहरादून	रा०पा० नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)	जनहित में
03	श्री कविराज	कर्मशाला अनुदेशक	रा०पा० गढ़ीश्यामपुर (देहरादून)	रा०पा० गैरसैंण (चमोली)	जनहित में
04	श्री गिरीश चन्द्र फलोरिया	कर्मशाला अनुदेशक	रा०पा० कोटाबाग (नैनीताल)	रा०पा० सल्ट (अल्मोड़ा)	जनहित में
05	श्री करन सिंह	कर्मशाला अनुदेशक	रा०म०पा० देहरादून	रा०पा० प्रतापनगर (टिहरी गढ़वाल)	जनहित में
06	श्री महेन्द्र कुमार	कर्मशाला अनुदेशक	रा०पा० रामनगर (नैनीताल)	रा०पा० बॉसबगड (पिथौरागढ़)	जनहित में
07	श्री योगेश कुमार	कर्मशाला अनुदेशक	रा०पा० कालाढूँगी (नैनीताल)	रा०पा० गरूड (बागेश्वर)	जनहित में
08	श्री अवधेश सिंह	कर्मशाला अनुदेशक	रा०पा० कोटद्वार (गढ़वाल)	रा०पा० जोशीमठ (चमोली)	जनहित में



अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री सुशील कुमार थापा	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	रा०पा० सहिया (देहरादून)	रा०पा० आमवाला (देहरादून)	स्वयं के अनुरोध
02	श्री मनमोहन लेखडा	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	रा०पा० सतपुली (गढ़वाल)	रा०पा० श्रीनगर (गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध
03	श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक	रा०पा० कालाढूँगी (नैनीताल)	रा०पा० दनिया (अल्मोडा)	स्वयं के अनुरोध
04	श्री नितेश चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	रा०पा० बेरीनाग (पिथौरागढ़)	रा०पा० गजा (टिहरी गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध
05	श्री पूरन सिंह रावत	प्रयोगशाला तकनीशियन	रा०पा० द्वाराहाट (अल्मोडा)	रा०पा० श्रीनगर (गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध
06	शकुन्तला	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रा०पा० बछेलीखाल (टिहरी गढ़वाल)	रा०पा० नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध
07	श्री वीरेन्द्र सिंह राणा	सहायक लेखाकार	रा०पा० चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)	रा०पा० पिपली (उत्तरकाशी)	स्वयं के अनुरोध
08	श्री ऋषिदेव राजभर	पुस्तकालयाध्यक्ष	रा०पा० कोटबाग (नैनीताल)	रा०पा० पंतनगर (ऊधम सिंह नगर)	स्वयं के अनुरोध
09	श्रीमती साधना थपलियाल	कर्मशाला अनुदेशक	रा०पा० चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)	रा०म०पा० देहरादून	स्वयं के अनुरोध
10	श्री मनोज जोशी	कर्मशाला अनुदेशक	रा०पा० श्रीनगर (गढ़वाल)	रा०पा० भलस्वागाज (हरिद्वार)	स्वयं के अनुरोध
11	श्री अरविन्द चौहान	कर्मशाला अनुदेशक	रा०पा० नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)	रा०पा० रानीपोखरी (देहरादून)	स्वयं के अनुरोध
12	श्री श्याम सिंह	कर्मशाला अनुदेशक	रा०पा० गौचर (चमोली)	रा०पा० गढ़ीश्यामपुर (देहरादून)	स्वयं के अनुरोध



13	श्री सुरेन्द्र सिंह	कर्मशाला अनुदेशक	रा0प्रा0पा0 ताकुला (अल्मोडा)	रा0पा0 गोपेश्वर (चमोली)	स्वयं के अनुरोध
14	श्री भूपेन्द्र सिंह पंवार	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 बीरोंखाल (गढ़वाल)	रा0पा0 हिण्डोलाखाल (टिहरी गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध
15	श्री दीपक कुमार	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 कुलसारी (चमोली)	रा0पा0 पौड़ी (गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध
16	श्री अजीत सिंह	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 पोखरी (चमोली)	रा0पा0 चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)	स्वयं के अनुरोध
17	श्री नीरज जोशी	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 सल्ट (अल्मोडा)	रा0पा0 चम्पावत (चम्पावत)	स्वयं के अनुरोध
18	श्री सरदार सिंह	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 पाबौ (गढ़वाल)	रा0पा0 थलनदी (गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध
19	शम्मी जगदीश	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 टनकपुर (चम्पावत)	रा0पा0 सहिया (देहरादून)	स्वयं के अनुरोध
20	श्री प्रदीप सिंह चन्द	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)	रा0पा0 चौनलिया (अल्मोडा)	स्वयं के अनुरोध
21	श्री चितरंजन शर्मा	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 रानीपोखरी (देहरादून)	रा0पा0 गोपेश्वर (चमोली)	स्वयं के अनुरोध
22	श्री योगेश चन्द्र	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 देहरादून (देहरादून)	रा0पा0 रूद्रप्रयाग (रूद्रप्रयाग)	स्वयं के अनुरोध

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहाँ वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री प्रदीप सिंह	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	रा0पा0 पोखरी (चमोली)	रा0पा0 गढ़ीश्यामपुर (देहरादून)	जनहित में
02	चंदू अवस्थी	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	रा0पा0 मूनाकोट (पिथौरागढ़)	रा0पा0 शक्तिफार्म (ऊधम सिंह नगर)	जनहित में



03	श्री धमेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	रा0पा0 सल्ट (अल्मोडा)	रा0पा0 कालाढूँगी (नैनीताल)	जनहित में
04	श्री कृष्ण चंद पन्त	पुस्तकालयाध्यक्ष	रा0पा0 सल्ट (अल्मोडा)	रा0पा0 रामनगर (नैनीताल)	जनहित में
05	श्री लवराज सिंह मपवाल	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 बांस (पिथौरागढ़)	रा0पा0 खटीमा (ऊधम सिंह नगर)	जनहित में
06	श्री विद्यानन्द मौर्य	कर्मशाला अनुदेशक	रा0पा0 कनालीछीना (पिथौरागढ़)	रा0पा0 खटीमा (ऊधम सिंह नगर)	जनहित में

उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि दस दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें और प्रधानाचार्य, स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों को पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की प्रविष्टि स्थानान्तरण पोर्टल पर अंकित कर कार्मिकों का विवरण अपडेट करें।

- 2— स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3— स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- 4— स्थानान्तरिक कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 5— यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जाय।
- 6— यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमवाली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।
- 7— जो कोई, स्थानान्तरण अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो स्थानान्तरण आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने



में असफल रहेगा या अधिनियम के किन्हीं उपलब्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

8- स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून का वेतन उनके नवीन तैनाती संस्था से आहरित किया जायेगा।

9- जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में किया गया है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा तथा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।

10- प्रधानाचार्यों द्वारा कार्मिकों के कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय के ई-मेल आई0डी0 ukdttransfer@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी।

(आर0पी0 गुप्ता)
निदेशक।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल)
पृ0सं0 2063-72/नि0प्रा0शि0/स्था0-08/2023-24 दिनांक: 15 जून, 2023।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1)-निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री महोदय के अवगतनार्थ।
- (2)-निजी सचिव, सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को महोदय के अवगतनार्थ।
- (3)-सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- (4)-सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)।
- (5)-संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0ई0, आमवाला देहरादून।
- (6)-सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राजकीय/महिला/ग्रामीण पालीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड।
- (7)-महालेखाकार, उत्तराखण्ड कोलागढ़, देहरादून।
- (8)-सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार, उत्तराखण्ड।
- (9)-सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रधानाचार्य।
- (10)-गार्ड फाइल।

(आर0पी0 गुप्ता)
निदेशक।

::आदेशः

उत्तराखण्ड लोक सवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा 17 के अधीन वर्ष 2023 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के समूह-“घ” के निम्नलिखित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04(वर्तमान तैनाती संस्था) से कॉलम-05(संस्था का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जा रहा है) में अंकित स्थानों पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहाँ वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहाँ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री पंकज कुमार	चतुर्थ श्रेणी	रा०पा० नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	रा०पा० बीरोंखाल (पौड़ी गढ़वाल)	जन हित में
02	श्री राजकुमार	चतुर्थ श्रेणी	रा०पा० रूद्रप्रयाग (रूद्रप्रयाग)	रा०पा० श्रीनगर (गढ़वाल) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में अपना कार्य सम्पन्न करेंगे।	स्वयं के अनुरोध पर
03	श्री दयाराम	चतुर्थ श्रेणी	रा०पा० सतपुली (पौड़ी गढ़वाल)	रा०पा० विकासनगर (देहरादून)	स्वयं के अनुरोध पर

उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि दस दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें और प्रधानाचार्य, स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों को पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की प्रविष्टि स्थानान्तरण पोर्टल पर अंकित कर कार्मिकों का विवरण अपडेट करें।

2- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

4- स्थानान्तरिक कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

- 5- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जाय।
- 6- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमवाली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।
- 7- जो कोई, स्थानान्तरण अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो स्थानान्तरण आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या अधिनियम के किन्हीं उपलब्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमवाली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- 8- स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून का वेतन उनके नवीन तैनाती संस्था से आहरित किया जायेगा।
- 9- जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में किया गया है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा तथा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने क उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 10- प्रधानाचार्यों द्वारा कार्मिकों के कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय के ई-मेल आई0डी0 ukdtetransfer@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी।

(आर0पी0 गुप्ता)
निदेशक।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल)
पृ0सं0 2023-24/नि0प्रा0शि0/स्था0-08/2023-24 दिनांक: 10 जून, 2023।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1)-निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री महोदय के अवगतनार्थ।
- (2)-निजी सचिव, सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को महोदय के अवगतनार्थ।



- (3)–सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- (4)–सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की (हरिद्वार)।
- (5)–संयुक्त सचिव, आई०आर०डी०टी०ई०,आमवाला देहरादून।
- (6)–सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राजकीय/महिला/ग्रामीण पालीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड।
- (7)–महालेखाकार, उत्तराखण्ड कोलागढ़, देहरादून।
- (8)–सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार, उत्तराखण्ड।
- (9)–सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रधानाचार्य।
- (10)–गार्ड फाइल।



(आर०पी० गुप्ता)
निदेशक।